

Date: August 5, 2026

To,
Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Dear Sir / Madam,

Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements in respect of Extra Ordinary General Meeting.

Ref: Kataria Industries Limited (Symbol: KATARIA, ISIN: INE0SVY01018)

Please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisements published in Financial Express - (in English) and Chautha Sansar - (in Hindi) on August 5, 2026 with respect to Extra Ordinary General Meeting of the Company.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You,

For Kataria Industries Limited

Arun Kataria
Managing Director
DIN: 00088999

Place: Ratlam

Encl: A/a.

अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 6 पुलिसकर्मियों सम्मानित

इंदौर। साप्ताहिक पुरस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत आज पलासिया स्थित कार्यालय में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह द्वारा उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले निम्न 6 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार से सम्मानित कर बधाई दी और उन्हें आगे भी ऐसे ही बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही इस अवसर पर अति पुलिस आयुक्त (आप/मुख्या) आर.के. सिंह सहित उपस्थित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी पुस्कृत पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया। पुस्कृत पुलिसकर्मियों- निरीयक रवीन्द्र पारशर, प्रभार 1480 मुकेश लोमाना, प्रभार. पंकज बवेन, प्रभार 3313 प्रदीप शर्मा, प्रभार 3302 लोकेश प्रजापत, आर. 2964 सजीव पर थाना सेंट्रल कोतवाली - थाना सेंट्रल कोतवाली क्षेत्रांतर्गत हुए अंधे कत्ल का पदाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार करने के सराहनीय कार्य करने पर। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में चलाये गये रनरी से दूरी है जस्की 2.0 अभियान के सफल आयोजन में उत्कृष्ट कार्य कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र व शील प्रदाय कर सम्मानित किया गया।



मरतनाट्यम नृत्य 60 छात्राओ ने सीखा

इंदौर। वरदा कला संस्थान द्वारा शासकीय हाईस्केडरी स्कूल विचार, आनंद नगर में वे दिवसीय निशुल्क मरतनाट्यम कार्यशाला आयोजित की गई। इस आयोजन में 60 से अधिक छात्रों ने यह मांगिता की। कार्यक्रम में प्राचार्य शशिकांत जायसवाल, सुश्री सुनीता पांडे, रूजू पाठर, शिल्पी जैन, संगीता व्यास दीदी, सुनीता दीदी, का विशेष सहयोग मिला। कार्यशाला में छात्रों ने मरतनाट्यम का इतिहास,भूमिप्रणाम, अडवु, पाद मोद,हस्त मुद्रा, ताल ,लय, रंग, के साथ ही शिव श्रोक अंगिकम नुवन यास्या वाचिकम ,पर नृत्य सीखा। समान अवसर पर संस्थान की निर्देशिका श्रुति राजीव शर्मा का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत की सबसे पुरानी कला को जनजन और नई पीढ़ी से अवगत कराना था।

वाहन चेकिंग के दौरान सतर्कता से प्रतिबंधित ई-सिगरेट की खेप जब्त

इंदौर.(नप्र)। विजय नगर पुलिस द्वारा नये के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है।इसी क्रम में आरओपी वाहन चेकिंग के दौरान विजय नगर पुलिस टीम की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से प्रतिबंधित ई-सिगरेट की अंधे खेप बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कल मध्यरात्रि में नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक सटियम मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे सुरक्षित पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके बैग से प्रतिबंधित (वेप)के चार पैकेट बरामद हुए, निम्नमें विभिन्न प्लेक्ट उपलब्ध थे। पुरछाछ में आरोपी ने अपना नाम सुमित नंद, पिता श्री सुनील नंद, उम्र 31 वर्ष, निवासी 483, रेत मंडी कॉलोनी, ओद्योगिक क्षेत्र, इंदौर बताया। आरोपी के कब्जे से बरामद प्रतिबंधित ई-सिगरेट की अनुमानित कीमत लगभग 10,000/- है।

टीपीएस योजनाओं में होगा उद्यानों और हरित क्षेत्रों का विकास

इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण अपनी टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) योजनाओं के तहत पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर उद्यानों और हरित क्षेत्रों का विकास कर रहा है। करोड़ों की इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। पिछली बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। उद्यानों को विकसित करने के लिए आईडीए ने डैटर प्रक्रिया शुरू कर दी है।आईडीए का इन पहलों का मुख्य उद्देश्य इंदौर शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और नागरिकों को प्राकृतिक हरित क्षेत्र उपलब्ध कराना है।

जिला कोर्ट परिसर में बनेगा स्मार्ट टॉयलेट, रोड-पेवर ब्लॉकों की होगी मरम्मत

महापौर ने अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों से जानी समस्याएं

इंदौर (नप्र)। इंदौर जिला कोर्ट परिसर में जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट टॉयलेट बनाया जाएगा। मंगलवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने जिला कोर्ट परिसर का निरीक्षण कर जनता की सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकृत संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने बंद पड़े प्याऊ को जल्द शुरू करने, उखड़े हुए पेवर ब्लॉकों की मरम्मत और परिसर की सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए अधिकारियों को कहा।

महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि न्यायालय परिसर में रोजाना बड़ी संख्या में अधिकृत, पक्षकार एवं आम लोग आते हैं, इसलिए यहां सभी मूलभूत सुविधाएं सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से उपलब्ध



होना आवश्यक है। महापौर भार्गव ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट टॉयलेट के निर्माण की घोषणा भी की।

लोणा आवश्यक है। महापौर भार्गव ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट टॉयलेट के निर्माण की घोषणा भी की।

मां से बिछड़ा एक साल का मासूम

प्रेमाश्रय पर कार्रवाई के बाद तीन दिन से अलग रह रहा, मां की गोद के लिए तड़प रहा बच्चा

में कोई जानकारी नहीं मिलने पर प्रशासन ने उसे प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम में आश्रय दिया।

वृद्धाश्रम में हुआ बच्चे का जन्म

जुलाई 2025 में महिला ने वृद्धाश्रम में ही बेटे को जन्म दिया। तब से मां और बेटे दोनों प्रेमाश्रय में साथ रह रहे थे।

कार्रवाई के दौरान मां-बेटे हो गए अलग

बुजुर्गों से मारपीट के मामले के बाद

प्रशासन ने प्रेमाश्रय खाली कराने का फैसला लिया। कार्रवाई के दौरान सभी बुजुर्गों को अलग-अलग आश्रय गृह और अस्पतालों में भेज दिया गया। महिला को भी दूसरे आश्रय गृह में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि उसका एक साल का बेटा प्रेमाश्रय में ही रह गया। पिछले तीन दिनों से मां और बेटा एक-दूसरे से अलग हैं।

मां की गोद के लिए रो पड़ता है मासूम

वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों ने बताया कि बच्चे को दूध और अन्य भोजन नियमित रूप से दिया जा रहा है, लेकिन

मां की गोद न मिलने पर वह बार-बार रोने लगता है। उसे संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है, फिर भी मां की कमी साफ महसूस हो रही है।

प्रशासन से मां-बेटे को मिलाने की अपील

प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बच्चे के भविष्य को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका। अब वे प्रशासन से आग्रह करेंगी कि मां और बेटे को फिर से साथ रहने की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि एक साल की उम्र में बच्चा पूरी तरह मां पर निर्भर होता है और लंबे समय तक

एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड

15 दिन पहले ही कोचिंग के लिए इंदौर आया था,दोस्तों ने कमरे में फंदे पर लटका देखा

इंदौर,(नप्र)। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 18 वर्षीय छात्र ने सोमवार रात किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला, जब उसके दो दोस्त कोचिंग से लौटकर कमरे पर पहुंचे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान प्रियांश (18) पुत्र अजीत कौरव निवासी इंदूरपुरी कॉलोनी जिला नरसिंहगढ़-गाडरवाड़ा के रूप में हुई है। वह एसएससी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए करीब 15 दिन पहले ही इंदौर आया था और भंवरकुआ क्षेत्र में अपने तीन दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रह रहा था।

दोस्त कोचिंग गए, लौटे तो फंदे पर मिला

मृतक के दोस्त शिवम ने बताया कि सोमवार शाम वह और एक अन्य साथी कोचिंग गए थे। करीब आधे घंटे पहले उनका तीसरा दोस्त भी किसी परिचित से मिलने के लिए कमरे से निकल गया था। उस समय प्रियांश कमरे में अकेला था। जब दोनों वापस लौटे तो वह फंदे पर लटका मिला। उसे तुरंत नीचे उतारकर

नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से एमवाय अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पढ़ाई नहीं हो रही थी, घर लौटना चाहता था- दोस्तों के मुताबिक प्रियांश को इंदौर आए करीब 15 दिन ही हुए थे। वह एसएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग में डेमा बसास कर रहा था, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसने अपने माता-पिता से फोन पर बात कर घर लौटने की इच्छा भी जताई थी। परिजनों ने उसे वापस आने के लिए कह दिया था, लेकिन इससे पहले ही उसने यह कदम उठा लिया।

किसान परिवार से था, नहीं मिला सुसाइड नोट- प्रियांश के परिवार में माता-पिता और एक बड़ा भाई है, जो भोपाल में बीटक की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता किसान हैं। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल भंवरकुआ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुराने विवाद का बदला लेने रेस्टोरेट में लगाई थी आग

इंदौर.(नप्र)। विजय नगर पुलिस ने ओम साई राम रेस्टोरेट में हुई आगजनी की घटना का खुलासा किया है। आरोपी ने पुराने विवाद के चलते पेट्रोल डिब्बेकर रेस्टोरेट में आग लगाई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, कृष्णबाग कॉलोनी निवासी नीरज साहू के ओम साई राम रेस्टोरेट में 11 जून की रात आगजनी की घटना हुई थी। मामले की जांच के दौरान आपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खगले गए। इनमें श्रद्धा श्री कॉलोनी निवासी वरुण तेवरी घटना के बाद रेस्टोरेट से जाते हुए दिखाई दिया। घटना के पांच दिन बाद नीरज साहू ने पुलिस को बताया कि उसका पहले वरुण तेवरी से विवाद हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे हिरासत में लेकर पुरछाछ की। पुरछाछ में वरुण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्चौर (म.प्र.)				
क्रमांक	JNDAL0720260059	विज्ञप्ति	दिनांक 30.07.2026	
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनीय का विचार) नियम 2014 के अधिन स्वरूप द्वारा ग्राम- नुपदपुरा, वसली-चापेर , जिला-इन्चौर में आवासीय खुदाईय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-				
अ. क्र.	कालोनीजन्त का नाम	स्थान जहां के सिरे विकास अनुमति जारी की गई है	घरोंर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडों का विवरण	
1	2	3	4	
1	भूमिस्वामी 1. श्री मोहन पित्त च.र. श्री ओमनाल चौधरी 2. श्री मेहरवार पित्त श्री ओमनाल चौधरी 3. महेश पित्त च.र. श्री ओमनाल चौधरी 4. कविता पित्त श्री ओमनाल 5. श्री रमेश पित्त श्री रामचंद्र चौधरी 6. श्री भवत पित्त श्री रामचंद्र चौधरी 7. श्री अमन चौधरी पित्त श्री रंजय चौधरी 8. मंजु चौधरी पित्त श्री रंजय चौधरी 9. प्रीती चौधरी पित्त श्री रंजय चौधरी 10. चंद्रिकाकांत एच.आर. रियलिटी सर्वे भागीदार श्री राहुल अग्रवाल पित्त मुकेश अग्रवाल 2. श्री निवेश अग्रवाल पित्त मुकेश अग्रवाल पित्त-11/1, आर.एच. भण्डारी मार्ग, इन्चौर (म.प्र.)	ग्राम- नुपदपुरा तहसील चापेर जिला - इन्चौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 350/10 रकबा 0.967 हे. सर्वे नंबर 342/1 रकबा 1.854 है, सर्वे नंबर 342/2 रकबा 1.346 है., सर्वे नंबर 342/7 रकबा 1.294 है. कुल रकबा 5.461 है. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक MP71GRI/7512026A10085960 इंदौर विनांक 13.07.2026 से मुख्याड क्र. बी-1 से बी-57 तक, बी-242 से बी-257 तक, बी-295 से बी-322 तक, बी-276, बी-323, बी-324, बी-373 इस प्रकार कुल 105 मुख्याड है जिसका कुल क्षेत्रफल 7671.01 वर्गमीटर है, बंधक रखे गये है।	
उपरोक्त कालन नंबर -4 में उल्लेखित 105 मुख्याड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व सामान्य को सुचित किया जाता है कि उपरोक्त मुख्याड का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जायेगा। (कलेक्टर महोदय एवं सहम प्राधिकारी द्वारा आवेदित)				
अपर कलेक्टर जिला-इन्चौर				

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्चौर (म.प्र.)				
क्रमांक	JNDAL0720260059	विज्ञप्ति	दिनांक 30.07.2026	
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनीय का विचार) नियम 2014 के अधिन स्वरूप द्वारा ग्राम- नुपदपुरा, वसली-चापेर , जिला-इन्चौर में आवासीय खुदाईय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-				
अ. क्र.	कालोनीजन्त का नाम	स्थान जहां के सिरे विकास अनुमति जारी की गई है	घरोंर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडों का विवरण	
1	2	3	4	
1	भूमिस्वामी 1. श्रीमती सरजूबाई पति श्री रामचंद्र 2. श्री केदार पित्त श्री रामचंद्र चौधरी 3. श्री रमेश पित्त श्री रामचंद्र चौधरी 4. श्री अमन चौधरी पित्त श्री रंजय चौधरी 5. मंजु चौधरी पित्त श्री रंजय चौधरी 6. प्रीती चौधरी पित्त श्री रंजय चौधरी 7. सीमा पित्त श्री रामचंद्र चौधरी 8. साई बिल्वराम एच डेलवरम तर्क श्रीमती राजकुमारी मोर्य पति रमेश मोर्य, रीता मोर्य पति श्री राजेश मोर्य सोनी मोर्य पति श्री राकेश मोर्य सर्वे विकासकर्ता- एच.आर. रियलिटी सर्वे भागीदार श्री राहुल अग्रवाल पित्त मुकेश अग्रवाल 2. श्री निवेश अग्रवाल पित्त श्री मुकेश अग्रवाल पित्त-11/1, आर. एच. भण्डारी मार्ग, इंदौर (म.प्र.) कालोनी का नाम GURU KRIPRA PHASE -5	ग्राम- नुपदपुरा तहसील चापेर जिला - इन्चौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 350/4 रकबा 0.717 है., सर्वे नंबर 350/5 रकबा 0.291 है, सर्वे नंबर 350/6 रकबा 0.462 है., सर्वे नंबर 352/1 रकबा 1.791 है. सर्वे नंबर 349/6 रकबा 2.528 है., कुल रकबा 5.789 है. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक MP71GRI/7512026A10085959 इंदौर विनांक 13.07.2026 से मुख्याड क्र. ई-161 से ई-171 तक, ई-175 से ई-179 तक, ई-311 से ई-349 तक, ई-359 से ई-361 तक, ई-369 से ई-472 तक इस प्रकार कुल 162 मुख्याड है जिसका कुल क्षेत्रफल 8293 वर्गमीटर है, बंधक रखे गये है।	
उपरोक्त कालन नंबर -4 में उल्लेखित 162 मुख्याड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व सामान्य को सुचित किया जाता है कि उपरोक्त मुख्याड का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जायेगा। (कलेक्टर महोदय एवं सहम प्राधिकारी द्वारा आवेदित)				
अपर कलेक्टर जिला-इन्चौर				

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग उज्जैन, यामीना

क्रमांक/शीट- 1/2026- || **विज्ञप्ति** || उज्जैन, दिनांक-03.08.2026

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील उज्जैन अंतर्गत ग्राम दादखेडीडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 110/1/2 रकबा 4.15 हेक्टेयर में से 0.80 हेक्टेयर पर भूमिगत रसोई निर्माण हेतु भूमि आवंटन किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अय्यप्प, आचार्य रत्नदास, अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा कुल निर्वर्तन नियम 2020 अंतर्गत प्रारूप 1 में भूमि आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/समूह/संस्था को आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यकाल में नियत समयावधि 18/08/2026 के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन

KATARIA TENASYO
Wired for Excellence

कटारिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
(Earlier Known as Kataria Industries Private Limited)
पंजीकृत कार्यालय: 34-38 एवं 44, औद्योगिक क्षेत्र, रत्नाम,
मध्य प्रदेश 457001, **मोबाइल:** +91 9981828377, +91 7412 261141/42/43;
ई-मेल: cs@katariaigroup.co.in | वेबसाइट: www.katariaindustries.co.in

कंपनी की असाधारण साधारण सभा (EOGM), कट-ऑफ तिथि एवं ई-वोटिंग के संबंध में सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("MCA") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 तथा परिपत्र सं. 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 (सामूहिक रूप से "MCA परिपत्र") के अनुसार, बिना किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC"/"V") अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("OAVM") के माध्यम से असाधारण साधारण सभा आयोजित करने की अनुमति के तहत, कटारिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की असाधारण साधारण सभा दिनांक बुधवार, 26 अगस्त 2026 को दोपहर 12:30 बजे (IST) VC/OAVM के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें EOGM की सूचना में वर्णित विशेष कार्यों का निपटारा किया जाएगा।
उपरोक्त MCA परिपत्रों एवं SEBI परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, दिनांक 13 मई 2022 के अनुसार, EOGM की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/हिफॉजिटरी के पास दिनांक 31 जुलाई 2026 (शुक्रवार) तक पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि EOGM की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.katariaindustries.co.in, NSE की वेबसाइट www.nseindia.com तथा NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे निम्न प्रक्रिया द्वारा अस्थायी रूप से अपना ईमेल पंजीकृत करा सकते हैं:

- यदि शेयर भौतिक मोड में रखे जाते हैं, तो कृपया फॉलोयिंग नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आओ और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा cs@katariaigroup.co.in भेज सकते हैं।
- यदि शेयर डिमैट मोड में रखे जाते हैं, तो कृपया cs@katariaigroup.co.in को ईमेल द्वारा डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लामार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।
- वैकल्पिक रूप से सदस्य evoting@nsdl.com को बिंदु (1) या (2) में उल्लिखित विवरण साबित करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

ईमेल पंजीकरण सफल होने के बाद, सदस्यों को EOGM की सूचना एवं ई-वोटिंग प्रक्रिया, यूजर आईडी एवं पासवर्ड सहित प्राप्त होगी। कंपनी में कोई भौतिक शेयरधारक न होने के कारण, सदस्यों का रजिस्टर बंद नहीं किया जाएगा। **बुधवार, 19 अगस्त 2026 (कट-ऑफ तिथि)** को जिन सदस्यों के नाम दर्ज होंगे, वही ई-वोटिंग का अधिकार रखेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं SEBI (LODR) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके लिए कंपनी ने NSDL के साथ समझौता किया है।

ई-वोटिंग की अवधि

- प्रारंभ:** बुधवार, 23 अगस्त 2026, प्रातः 9:00 बजे
- समाप्ति:** मंगलवार, 25 अगस्त 2026, सायं 5:00 बजे

निर्धारित अवधि के बाद ई-वोटिंग बंद हो जाएगी। एक बार डाट गले वोट में परिवर्तन संभव नहीं होगा। जो सदस्य पहले ही ई-वोटिंग कर चुके हैं, वे EOGM में शामिल हो सकते हैं, परंतु पुनः वोट नहीं कर सकते।

EOGM की सूचना के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.com या cs@katariaigroup.co.in पर अनुरोध कर लॉगिन विवरण प्राप्त कर सकते हैं। यदि पासवर्ड भूल जाएं तो www.evoting.nsdl.com पर "Forgot Password" विकल्प का उपयोग करें। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध FAQs देखें या टोल फ्री नंबर 022-4886 7000 पर संपर्क करें।

अधिक जानकारी हेतु:

श्री अरुण कटारिया, प्रबंध निदेशक; ईमेल: cs@katariaigroup.co.in, फोन: +91 7412 261141/42/43 पर संपर्क करें।

कटारिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
(पहले कटारिया इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
एस डी
अरुण कटारिया
प्रबंध निदेशक

स्थान: रत्नाम
दिनांक: 4 अगस्त, 2026